

प्रस्तावना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री परिषद् के अध्यक्ष हैं और महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जनरल बॉडी परिषद् की सर्वोत्तम सत्ता है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार करते हैं। इसके सदस्य विभिन्न राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं और वैज्ञानिक संगठनों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

(क) संरचना

संगठनात्मक चार्ट पेज IV पर प्रस्तुत है। शासक मण्डल का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी यथा महानिदेशक करते हैं जो परिषद् में निर्णय करने के प्राधिकारी हैं। महानिदेशक की सहायता के लिए चार उप महानिदेशक (जो प्रशासन, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार निदेशालयों के मुखिया हैं); निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) ; सहायक महानिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं वानिकी सांख्यिकी और सचिव, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् हैं। इसके अलावा, मुख्यालय में उप महानिदेशकों के सहायता के लिए सहायक महानिदेशक और वैज्ञानिक हैं। प्रत्येक संस्थान के मुखिया निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए अनुसंधान समन्वयक, वैज्ञानिक, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण हैं।

अनुसंधान निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए तीन सहायक महानिदेशक हैं। अनुसंधान योजना प्रभाग प्रत्येक संस्थान में अनुमोदित कैलेण्डर के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुसंधान सलाहकार समूह की बैठकें और परिषद् स्तर पर अनुसंधान नीति समिति की बैठकें करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परिषद् के सभी संस्थानों के साथ समन्वयन करता है। बांस तकनीकी सहायता समूह के एक भाग के

लक्ष्य कथन

अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार द्वारा सतत आधार पर वनों से संबंधित समस्याओं को निपटाने और लोगों, वनों एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाले सहानुबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए जानकारी, प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों को सृजित, रक्षित, प्रसारित एवं उन्नत करना।

संकल्पना

राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम और राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना के परिचालनीयकरण द्वारा वनावरण में वृद्धि करना और वन उत्पादकता बढ़ाना।

रूप में भी यह विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग नियमित रूप से परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अनुवीक्षण एवं पुनरीक्षण करता रहता है।

जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभाग जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुसंधान और नीति विषयों पर कार्य कर रहा है जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सभा (यू एन एफ सी सी सी) और जैविकीय विविधता पर सभा (सी बी डी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। प्रभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन में वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों एवं अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भी जुटा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् एक प्रेक्षक संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन बैठकों पर सभी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सभा में भाग लेती है।

शिक्षा निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं जिनकी



सहायता के लिए एक सहायक महानिदेशक हैं। यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए परिषद् के वैज्ञानिकों एवं प्रबंधकीय संवर्ग की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी शिक्षा को बढ़ाती है। इस निदेशालय ने वानिकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप प्रत्यायन प्रक्रिया भी शुरू की है। प्रभाग राष्ट्रीय नीति अनुसंधान पुनरीक्षण और विद्यमान वन नीतियों, स्तरों एवं रूपरेखा का विश्लेषण भी करता है।

विस्तार निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए दो सहायक महानिदेशक हैं। मीडिया एवं विस्तार प्रभाग विभिन्न प्रकाशन जैसे बुलेटिन, पुस्तिकाएं, पम्फलेट, न्यूजलैटर और वार्षिक प्रतिवेदन निकालता है और राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देता है। यह व्यापक विस्तार रणनीतियों के माध्यम से वन विज्ञान केंद्रों और प्रदर्शन गांवों के जरिए विभिन्न लक्ष्य समूहों विशेषकर किसानों में परिषद् द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का विस्तार भी करता है। पर्यावरण प्रबंध प्रभाग परामर्शों के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों में पर्यावरण एवं वानिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का विस्तार करता है। स्लेम परियोजना इकाई भारत में पोषणीय भूमि और पारितंत्र प्रबंध को मुख्य धारा में लाने और संवर्धन के लिए नीति एवं संस्थागत सुधार पर विश्व पर्यावरण सुविधा निधीयित एवं विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्यम आकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सरलीकरण संगठन के रूप में कार्य करती है।

प्रशासन निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए दो सहायक महानिदेशक हैं। सामान्य प्रशासन के लिए इस निदेशालय की सहायता, सहायक महानिदेशक (प्रशासन) करते हैं। सहायक महानिदेशक भर्ती प्रभाग कर्मचारियों के सेवा मामलों को देखता है और लचीली सम्पूरक योजना और विभागीय

प्रोन्नति समिति कार्यकलापों का नियमित आयोजन करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर मानव संसाधनों की भर्ती भी करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं वानिकी सांख्यिकी प्रभाग, यह प्रभाग महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में है और इस प्रभाग के मुखिया सहायक महानिदेशक हैं। यह प्रभाग परिषद् मुख्यालय और उसके सभी संस्थानों में सूचना संचार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिषद् का सर्वर फार्म इफरिस अनुप्रयोग तथा अन्य सम्बद्ध मुख्य सेवाओं को प्रदान करता है। सांख्यिकी प्रभाग सभी राज्यों से वानिकी से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है और वार्षिक वानिकी सांख्यिकी रिपोर्ट एवं बुलेटिन के प्रकाशन के माध्यम से प्रसार के लिए प्रक्रमित करता है।

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग)

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) की सहायता के लिए एक सहायक महानिदेशक हैं जो पंचायत और मानव आयाम प्रभाग का काम देखते हैं ताकि समझौता पत्रों के प्रक्रमण और परियोजनाओं को विकसित करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहानुबंध विकसित किया जा सके।

परिषद् के संस्थान एवं केंद्र

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के नौ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और चार अनुसंधान केंद्र हैं जो राष्ट्र की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के अलग-अलग जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून की स्थापना 1906 में हुई और यह एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान और आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणीकृत संस्थान है। यह संस्थान उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व इम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई वानिकी अनुसंधान की

उच्च परम्परा को आगे ले जा रहा है। सामाजिक वानिकी और पारि-पुनर्स्थापन के उद्देश्य के साथ वन अनुसंधान संस्थान के अधीन सामाजिक वानिकी और पारि-पुनर्स्थापन के लिए उन्नत केंद्र, इलाहाबाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

वन अनुसंधान संस्थान को प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और अकाष्ठ वन उपज में पोस्ट मास्टर्स डिप्लोमा और लुगदी एवं कागज प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाने के अलावा एम एस सी वानिकी, एम एस सी काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं एम एस सी पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रमों की संचालन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यह पी एच डी डिग्री प्रदान करने के लिए डॉक्टरल कार्यक्रम भी चलाता है।

संस्थान का राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में वानिकी एवं सम्बद्ध विज्ञानों, प्रलेख संग्रहण का समृद्ध केंद्र है।

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर मध्य भारत के राज्यों यथा- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में अनुसंधान कार्यकलापों को केंद्रित करता है। इसका एक सैटेलाइट केंद्र है, छिंदवाड़ा में वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास के लिए केंद्र, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर वानिकी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के विशेषीकृत क्षेत्रों में अनुसंधान करता है जिसके फलस्वरूप स्वरोजगार द्वारा गरीबी कम हुई।

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अनुसंधान कार्यकलाप राजस्थान, गुजरात और दादर एवं नगर हवेली में केंद्रित हैं। संस्थान जैवविविधता संरक्षण करने और अंतिम उपभोक्ताओं हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए शुष्क तथा अर्ध शुष्क भूमि उत्पादकता एवं वनस्पति आवरण में वृद्धि करने हेतु वानिकी और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला की स्थापना 1987 में शंकुवृक्ष पुनर्जनन अनुसंधान केंद्र से हुई थी। संस्थान हिमालय और शीत रेगिस्तान क्षेत्रों पर अनुसंधान को केंद्रित करने के साथ जम्मू व कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की अनुसंधान आवश्यकता को पूरा करता है। शीत रेगिस्तान की विशेष अनुसंधान आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए ताबो एवं लाहौल- स्पिति में एक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र सहित स्थल विशेष अनुसंधान करने के लिए इसके नौ क्षेत्र अनुसंधान केंद्र हैं। इस संस्थान को उन्नत अनुसंधान करने के लिए 'शीत रेगिस्तान वनीकरण एवं चरागाह प्रबंध के लिए उन्नत केंद्र' के रूप में भी घोषित किया गया है।

वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट की स्थापना उत्तर पूर्वी राज्यों में वानिकी अनुसंधान में सहायता करने के लिए 1988 में की गई थी। यह संस्थान झूम खेती के तहत निम्नीकृत भूमियों के सुधार के लिए संरक्षण विधियों, सामुदायिक वनों के प्रबंधन और बांस एवं बेंत के बहु फलक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। 2004 में इसकी एक इकाई के रूप में आइजोल (मिजोरम) में बांस और बेंत के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है जो उत्तर पूर्वी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शोध करता है जो बांस और बेंत पर केंद्रित है।

वन उत्पादकता संस्थान, रांची को पूर्वी क्षेत्र यथा-बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं एवं शिक्षा को पूरा करने के लिए 1993 में स्थापित किया गया था। शोध और विस्तार कार्यकलापों को करने हेतु संस्थान के मंदार (रांची) में वन अनुसंधान केंद्र, सुकना (पश्चिम बंगाल) में पर्यावरणीय अनुसंधान स्टेशन और पटना (बिहार) में वन अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र भी हैं।

वन जैवविविधता संस्थान, हैदराबाद की स्थापना इस अधिदेश के साथ पूर्व वन अनुसंधान केंद्र का उच्चीकरण करके दिसम्बर 2012 में की गई थी ताकि यह पूर्वी घाटों की वन जैवविविधता पर विशेष जोर देने के साथ आंध्र प्रदेश की वन जैवविविधता पर अनुसंधान कर सके।



काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर

की स्थापना 1988 में की गई थी। संस्थान कर्नाटक और गोवा राज्यों की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्थान ने पारम्परिक काष्ठ विज्ञानों के अलावा वृक्ष सुधार और काष्ठ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान कार्यक्रमों का विस्तार किया है। इस संस्थान को काष्ठ के उन्नत उपयोग, पश्चिमी घाटों की कच्छवनस्पति एवं तटवर्ती पारिस्थितिकी और चंदन अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नत अध्ययनों के लिए केंद्र के रूप में व्यापक मान्यता मिली है।

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान,

कोयम्बटूर की स्थापना 1959 से वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय के अधीन कार्यरत वन अनुसंधान केंद्र का उच्चीकरण करके 1988 में की गई थी। संस्थान तमिलनाडु, केरल, अण्डमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह संस्थान महत्वपूर्ण तेज वृद्ध करने वाली वृक्ष प्रजातियों, यथा – सागौन, कैज्वारिना, यूकेलिप्टस, पोंगेमिया, जट्रोफा और ऐकेशिया के लिए बीज उत्पादन क्षेत्र एवं क्लोनीय उद्यानों का अनुरक्षण करता है। संस्थान की केरल, तमिलनाडु और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में क्षेत्र इकाइयां हैं।

(ख) अनुसंधान प्रबंध

अनुसंधान निदेशालय

यह निदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि परिषद् संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सभी अनुसंधान परियोजनाएं आवश्यकता आधारित हों और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान समस्याओं का समाधान करें। निदेशालय द्वारा अनुसंधान प्राथमिकीकरण सभी पणधारियों और अंतिम उपभोक्ताओं को शामिल करके सहभागी क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है।

अनुसंधान योजना प्रभाग – अनुसंधान निदेशालय के अधीन यह प्रभाग परिषद् के नौ अनुसंधान संस्थानों और चार अनुसंधान केंद्रों की योजना निधीयित वानिकी परियोजनाओं की योजना, सूत्रीकरण और अंतिम रूप देने का कार्य करता है। गहराई में जाने, पारदर्शी और सहभागी

दृष्टिकोण के साथ समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वानिकी अनुसंधान/उभर रहे मुद्दों में निवेश का निर्धारण करने और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य अनुसंधान आवश्यकताओं में सामन्जस्य बनाने को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में पणधारियों की बैठकें, प्रत्येक संस्थान में अनुसंधान सलाहकार समूह बैठकें और महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान नीति समिति की बैठक शामिल हैं।

2013-14 के लिए परिषद् के नौ संस्थानों में से प्रत्येक में अनुसंधान सलाहकार समूह बैठकें सदस्यों में प्रस्ताव परिचालित करके संस्थान में अनुमोदित समय सारणी के अनुसार बुलाई गई।

वर्ष 2013-14 के लिए चौदहवीं अनुसंधान नीति समिति की बैठक देहरादून में महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में 30 से 31 मई 2013 तक बुलाई गई। रु. 631.23 लाख के बजट के साथ कुल 76 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

परिषद् 125 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है जिसके लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है, इसमें शामिल हैं – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पादप किस्म की सुरक्षा एवं किसान अधिकार अधिनियम (पी पी वी व एफ आर ए), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), राज्य वन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उत्तराखण्ड राज्य परिषद् (यूकास्ट), बांस तकनीकी सहायता समूह (बी टी एस जी), राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन एम पी बी), राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एस एम पी बी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), राष्ट्रीय बीज निगम (एन एस सी), आई आई टी, आई टी सी भद्राचलम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी), राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (एन आर ए)। इसका कुल बजट परिव्यय रु. 48.52 करोड़ का है। बांस तकनीकी सहायता समूह के तहत परिषद् के विभिन्न संस्थानों में आठ प्रशिक्षण आयोजित किए गए।



अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग : अनुसंधान निदेशालय के तहत यह प्रभाग परिषद् संस्थानों में जारी सभी अनुसंधान परियोजनाओं का सालाना पुनरीक्षण और मूल्यांकन करता है। यह परिशुद्धता के साथ उद्देश्यों के निष्पादन और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। चालू वर्ष के दौरान कुल 293 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 228 परिषद् की प्लान परियोजनाएं और 65 बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं। सालाना पुनरीक्षण के दौरान जारी और पूरी की गई परिषद् की प्लान और बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का पुनरीक्षण किया गया। परियोजना समापन रिपोर्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परिषद् स्तर पर परियोजना समापन रिपोर्ट प्रक्रिया का समकक्ष पुनरीक्षण शुरू किया गया है।

वन जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग : यह प्रभाग देश में निर्वनीकरण एवं निम्नीकरण परियोजनाओं से न्यूनीकृत उत्सर्जन और स्वच्छ क्रियाविधि में संकल्पना, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए सलाहकार एवं परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसने पार्टियों के सम्मेलन (सी ओ पी) : वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सलाह के लिए अनुषंगी संस्था में भाग लिया,

जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सभा के एक प्रेक्षक संगठन के रूप में नीति निर्धारित करने पर केंद्रित है। इसने भारतीय वन सेवाओं, शोधार्थियों और शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया। परिषद् द्वारा संचालित भारत की वन किस्मों के पुनरनियोजन को "फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया : रीविजिटेड" शीर्षक के तहत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके 17 मई, 2013 को विमोचन किया गया।

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग)

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) महानिदेशक, भा.वा.अ. शि.प. और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमोदन और अनुमति की प्रक्रिया हेतु बाहर से सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाते हैं। यह प्रभाग विशेषकर वानिकी अनुसंधान एवं आजीविका से संबंधित सेमिनारों, बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करता है। पॉपलर आधारित कृषिवानिकी मॉडलों के जरिए किसानों की समृद्धता पर बिहार परियोजना की सफलता की कहानियों को दर्शाते हुए एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका का हिन्दी संस्करण भी तैयार किया गया है।